

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14(आरआरवीपीएनएल)2014/एफसीए/प्रमुखसं/ 797

दिनांक: 7-2-2018

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल,  
केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज,  
लखनऊ-226024 (उ०प्र०)

विषय:-Diversification of 35.4291 ha of forest land for 132 K.V. Nokha-Daiya-Khajuwal Transmission line in favour of RRVPNL, Distt. Bikaner.

संदर्भ:-आपका पत्रांक 8बी/राज/04/08/2017/एफसी/234 दि. 28.8.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर ने उनके पत्रांक 10807 दि. 12.10.17 एवं 427 दि. 9.1.18 से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार है :-

| शर्त सं. | अधिरोपित शर्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अनुपालना                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अण्डरटेकिंग संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007-एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली जमा की जाएगी।                                                                                                                                                                   | भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में प्रस्तावित कार्य हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली वनभूमि की एनपीवी हेतु आवश्यक धनराशि वनमण्डल बीकानेर की रुपये 2653798/- एवं वनमण्डल छतरगढ की 12864148/- कुल 15517946/- रुपये प्रयोक्ता अभिकरण ने केम्पाफण्ड में जमा करा दी है। (प्रतियां संलग्न)        |
| 3.       | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                          | अण्डरटेकिंग संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात् 70.8578 है० (छतरगढ वन विभाग में प्रस्तावित वनभूमि $29.3702 \times 2 = 58.74$ है० बीकानेर वन प्रभाग में प्रस्तावित वनभूमि $6.0589 \times 2 = 12.1178$ hac. कुल 70.8578 है०) पर क्षतिपूरक वृक्षरोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जावेगी। | भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में प्रस्तावित कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वनमण्डल बीकानेर की रुपये 1563196/- एवं वनमण्डल छतरगढ की 75775122/- रुपये कुल 9140708/- रुपये प्रयोक्ता अभिकरण ने केम्पाफण्ड में जमा करा दी है। (प्रतियां संलग्न) |
| 5.       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा,                                                                                                                                                                                                                        | भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में रुपये 5.30 लाख प्रति हैक्टर की दर से प्रस्तावित वनभूमि वनमण्डल बीकानेर की $6.0589 \times 530000 = 3211217$ /- रुपये में से पूर्व में                                                                                                                    |

264

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | नई दिल्ली में जमा की जावेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1785949/- रुपये जमा कराये थे एवं पुनः अन्तर की राशि 1425268/- रुपये केम्पाफण्ड में जमा करा दी गई है। इसी प्रकार वनमण्डल छतरगढ की 29.3702 X 530000 = 15566206/- कुल रुपये में से पूर्व में 7910018/- रुपये जमा करायी गयी तथा अन्तर की राशि 7656188/- केम्पाफण्ड में जमा करा दिये गये है। उक्त राशि ई-चालान द्वारा यूटीआर नंबर एसबीआईएनआर 52017111400068085 से केम्पाफण्ड में जमा करा दिये गये है। (छायाप्रति संलग्न) |
| 6.  | विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी0 पीलरों से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी.जी. पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।                                                         |
| 7.  | पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।                                                                                                                                                                                                                  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि पर एवं प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/कर्मियों के लिए किसी प्रकार का केम्प नहीं लगाया जायेगा।                                                                                                                                                                          | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि वनभूमि पर एवं प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/कर्मियों के लिए किसी प्रकार का केम्प नहीं लगाया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | पारेषण लाईन के लिए राइट ऑफ वे (right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी।                                                                                                                                                                                                                                    | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि पारेषण लाईन के लिए राइट ऑफ वे (right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रखी जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक लगाए जाएंगे। साथ ही वन्यप्राणियों को विद्युत स्पर्शधात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउण्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखना सुनिश्चित किया जाएगा।                                                                                                            | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक लगाए जाएंगे। साथ ही वन्यप्राणियों को विद्युत स्पर्शधात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउण्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखा जाएगा।                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | परियोजना के निर्माण और रख-रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।                                                                                                                                                                            | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि परियोजना के निर्माण और रख-रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।                                                                                                                                                         | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।                                                                                                                                                  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।                                                                                                                                                  |
| 14. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी                                                                                                                | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी                                                                                                                                        |
| 15. | प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।                                                                                                    | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी। अण्डरटेकिंग संलग्न है।                                                                                      |
| 16. | परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दि. 7.1.15 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गई है कि परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दि. 7.1.15 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा। |
| 17. | राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु वनभूमि की विभुक्ति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के उपरांत ही की जा सकेगी।                                                                   | विभाग द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जावेगी।                                                                                                                                                                                                                          |

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की मूल प्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्तानुसार।

(मूल रिपोर्ट)

भवदीय,



(ए.के.सिंह)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थान, जयपुर

दूरभाष कार्यालय-01412713759, मो.नं. 9414059146

क्रमांक: एफ14(आरआरवीपीएनएल)2014/एफसीए/प्रमुवसं/798-802 दिनांक: 7.2.2018

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक, स्टेज-II, बीकानेर/स्टेज-I, छतरगढ़।
3. उप वन संरक्षक (CAMPA), कार्यालय हाजा।
4. सहायक अभियंता, RRVPNL, 66 के.वी. जीएसएस, सागर रोड, बीकानेर।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थान, जयपुर

## कार्यालय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

क्रमांक :- एफ12(207)सर्वे/संमुवसं/2017-18/10807

दिनांक :- 12/10/17

निमित्त :-

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,  
एफसीए, अरण्य भवन, राजस्थान,  
जयपुर ।

विषय:- Diversion of 35.4291 ha of forest land for 132 KV NokhaDaiya  
Khajuwala Transmission line in favor of RRVPNL with felling of 498  
nos of trees-reg. (प्रस्ताव सं. FP/RJ/TRANS/19489/2016)

प्रसंग:- आपका पत्रांक एफ14(आरआरवीपीएनएल)2014/एफसीए/प्रमुवसं/  
3230 दिनांक 14.9.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नोखादया-खाजुवाला 132 के.वी.  
ट्रांसमिशन लाईन हेतु 35.4291 हेक्टर (उप वन संरक्षक इगानप स्टेज-II बीकानेर  
6.0589 हेक्टर व उप वन संरक्षक स्टेज-I छतरगढ 29.3702 हेक्टर) के प्रत्यावर्तन  
प्रकरण में प्रासंगिक पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार पालना  
रिपोर्ट उप वन संरक्षक इगानप स्टेज-II बीकानेर व स्टेज-I छतरगढ द्वारा क्रमशः अपने  
पत्रांक 7046 दिनांक 9.10.17 व पत्रांक 5099 दिनांक 9.10.17 (प्रतियां संलग्न हैं) से इस  
कार्यालय में प्रस्तुत की गयी है तथा क्रमशः पत्रांक 7049 दिनांक 10.10.17 व पत्रांक  
5108 दिनांक 9.10.17 (प्रतियां संलग्न) से कार्य करने की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी  
है अतः पालना रिपोर्ट की दो प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।  
संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(बी.आर.भादू)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
बीकानेर

क्रमांक/सम/

दिनांक:-

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक इगानप स्टेज-II बीकानेर व स्टेज-I छतरगढ द्वारा  
क्रमशः अपने पत्रांक 7046 दिनांक 9.10.17 व पत्रांक 5099 दिनांक 9.10.17 के क्रम में  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(बी.आर.भादू)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
बीकानेर

क्रमांक : एफ ( ) सर्वे/2017-18/7046

दिनांक 9-10-17

सेवा में

श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
बीकानेर ।

7456  
10-10-17

विषय:- Diversion of 35.4291 Ha. of forest land for 132 KV Nokha-Daiya-Khajuwal Transmission line in favour of RRVPNL, Distt, Bikaner.

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्र सं. 8बी/राज./04/08/2017/एफ.सी./234 दिनांक 28.08.2017

महोदय

उपरोक्त विषय पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/19489/2016 (Construction of 132 KV Nokha-Daiya-Khajuwal Transmission line) पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (ii) भारत सरकार की स्वीकृति 19वीं मीटिंग में दिनांक 28.08.2017 को प्राप्त हो गयी थी । REC (Central) MOEFCC के प्रस्ताव की अनुपालना में पेजों की कटाई/छगाई में राशि रु 65694.00 डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 745959 दिनांक 26.09.2017 द्वारा जमा करा दिये हैं । (छाया प्रति संलग्न)

संदर्भित पत्र के अनुसार सैधातिक स्वीकृति की राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम की बिन्दुवार पालना पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 04.10.2017 द्वारा कर दी गई है, जो कि निम्न है -

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।<br>(Annexure 1)                                                                                                                                                               |
| 2 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।                                                                                                           | भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में प्रस्तावित कार्य हेतु एनपीवी हेतु आवश्यक धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण ने निम्नानुसार कैम्पा फंड में जमा कराई गई है 1. उवसं, आईजीएनपी-II, बीकानेर - 2653798/-<br>प्रतिलिपि संलग्न<br>(Annexure 2)                                         |
| 3 | प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबता पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी ।                                                                                                                                                                                                                                | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी । अर्डरकिंग संलग्न है । (Annexure 3)                                                                                               |
| 4 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने वन भूमि अर्थात् 70.8578 है० (छतरगढ़ वन प्रभाग में प्रस्तावित वन भूमि 29.3702 X 2= 58.74 ha. बीकानेर वन प्रभाग में प्रस्तावित वन भूमि 6.0589X2= 12.1178 ha. कुल 70.8578 है०)पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाति करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी । | भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में प्रस्तावित कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण ने निम्नानुसार कैम्पा फंड में जमा कराई गई है - 1. उवसं, आईजीएनपी-II, बीकानेर - 1563196/-<br>प्रतिलिपि संलग्न<br>(Annexure 2) |

सर्वे  
10/10/17

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विधुत लाइन के नीचे बौने पौधो (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु बीकानेर की विभागीय बी.एस.आर. अनुसार आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाति करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।                                                   | भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त की पालना में प्रस्तावित विधुत लाइन के नीचे बौने पौधो (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण ने निम्नानुसार कैम्पा फंड में जमा कराई गई है<br>1. उवसं, आईजीएनपी-II, बीकानेर - 1785949/-<br>प्रतिलिपि संलग्न (Annexure 2)                                                  |
| 6  | विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पा किया जाएगा। यह सीमाना 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरो से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पा किया जाएगा। यह सीमाना 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरो से किया जाएगा जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी |
| 7  | पारेषण लाइन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।                                                                                                                                                                                                              | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि पारेषण लाइन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर एवं प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/कर्मियों के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जाएगा।                                                                                                                                                                    | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि वन भूमि पर एवं प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/कर्मियों के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जाएगा।                                                                                                                                                                                            |
| 9  | पारेषण लाइन के लिए राइट ऑफ़ वे (right of way)की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी।                                                                                                                                                                                                                                | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि पारेषण लाइन के लिए राइट ऑफ़ वे (right of way)की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी।                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएंगे। साथ ही वन्य प्राणियों को विधुत स्पर्शघात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखना सुनिश्चित किया जाएगा।                                                                                      | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएंगे। साथ ही वन्य प्राणियों को विधुत स्पर्शघात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखना सुनिश्चित किया जाएगा।                                                                                                              |
| 11 | परियोजना के निर्माण और रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी।                                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि परियोजना के निर्माण और रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी।                                                                                                                                                                       |
| 12 | प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।                                                                                                                                                                           | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।                                                                                                                                                                           |
| 13 | प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                   | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति दी गई है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। (Annexure 3)                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।                                                                                                                                                                                                 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमती दी गई है कि मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। (Annexure 4)                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।                                                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमती दी गई है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। अर्डरिंग संलग्न है। (Annexure 5)                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.01.2015 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा सहमती दी गई है कि परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.01.2015 को जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जाएगा। (Annexure 6) |
| 17 | राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु वन भूमि की विभुक्ति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही की जा सकेगी।                                                                       | प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा सहमती दी गई है कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु वन भूमि की विभुक्ति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही की जा सकेगी।                                                                                    |

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
(वी. एस. जोरा)

उप वन संरक्षक

इ.ग.न.प.रि. स्टेज- II, बीकानेर

दिनांक

कमांक - समसंख्यंक/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर
2. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी), रा रा वि प्र नि लि., बीकानेर

(वी. एस. जोरा)

उप वन संरक्षक

इ.ग.न.प.रि. स्टेज- II, बीकानेर



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/04/08/2017/एफ.सी./110

दिनांक: 11.06.2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),  
वन विभाग, अरण्य भवन,  
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया,  
जयपुर, राजस्थान-302005

Online Proposal No. FP/RJ/TRANS/19489/2016

विषय: Diversion of 35.4291 ha. forest land for 132 K.V. D/C Nokha Daiya to Khajwala Transmission Line in favour of RRVPNL, Distt. Bikaner

सन्दर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), जयपुर, राजस्थान का पत्रांक-एफ14(RRVPNL)/2015/एफसीए/प्रमुवसं/1696, दिनांक-23.05.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान का पत्रांक एफ14(आरआरवीपीएनएल)2014/एफसीए/प्रमुवसं/1228, दिनांक-05.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-28.08.2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसकी अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 35.4291 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं कुल (208 वृक्षों के पातन एवं 290 वृक्षों के टहनियों की छटनी) की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.

2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.

3- Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 70.8578 ha degraded forest land (Compartment / Khasra No. Nil, Village-Beriyawaali, Tehsil-Nil District- Bikaner ) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

4- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

5. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.

6. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.

7. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

8. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

9. No labour camp shall be established on the forest land.

PCA  
5.7.019

8/7/19

Pro

10. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
11. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
12. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
13. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
14. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
15. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
16. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
17. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

भबदीया,

*P. S.* 10/06/19  
(प्राची गंगवार)

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०क्यू०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव [वन], सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर ।
4. उप वन संरक्षक, स्टेज- II, बीकानेर/स्टेज-I, छतरगढ़, राजस्थान ।
5. सहायक अभियन्ता, RRVPNL, 66 के०वी०, जीएसएस, सागर रोड, बीकानेर, राजस्थान ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित ।
7. आदेश पत्रावली ।

(प्राची गंगवार)

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)